राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

माघ 29, मंगलवार, *शाके* 1941–फरवरी 18, 2020
Magha 29, Tuesday, Saka 1941–February 18, 2020

सत्यमेव जयते

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग-6(ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 07, 2020

संख्या प.2(1)**नविवि/अलवर**/2020**:-**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उपधारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि /3/2012 दिनांक 31.05.12 के बिन्दु सं. 2 में उप सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के स्थान पर निम्नांकित सारणी के कालम संख्या (2) में वर्णित स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के लिए उसके सम्मुख कालम संख्या (3) में वर्णित अधिकारी को कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती हैः-

क्र.सं. (1)	स्थानीय प्राधिकारी का नाम (2)	अधिकारी का पद नाम (3)
1	नगर परिषद, भिवाड़ी	आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी

राज्यपाल की आज्ञा से,

त्रिभुवनपति,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।